रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 1981/वैशाख 8, 1903
No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 1981/VAISAKHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 1/पी आर/एन पी/81

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1981

फाइल सं० 33/49/80/पी०आर०/एन०पी०.—वर्ष 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट-9 के अनुच्छेद-7 के आधार पर भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के अखबारी कागज की हकदारी और इससे सम्बन्धित अन्य प्रक्रियाएं एतद्द्वारा अधिसूचित करता है जो कि इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में है और एक अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक लागू रहेगी। सभी प्रकार के आयातित कागज का मूल्य उक्त लाइसेंसिंग वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से नियत किया जाएगा और भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी।

सुरेश माथुर, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वर्ष 1981-82 के लिए अखबारी कागज की आवंटन नीति

1. हकदारी

1.1 अखबारी कागज के आवंटन के लिए सभी आवेदन पत्र फार्म आई० (इस नीति के अनुलग्नक-6 के रूप में पुन: प्रस्तुत) में दिए जाने चाहिए तथा वह ऐसे कागजातों द्वारा समर्थित होने चाहिए जो इस नीति के बाद के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपेक्षित हैं। आवेदन पत्र भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली को सम्बोधित करने चाहिए। ऐसे समाचार पत्र जो 31 मार्च, 1981 तक प्रकाशित हो रहा था, उसमें अखबारी कागज के प्रारंभिक आवंटन के लिए 31 अक्तूबर, 1981 के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.2 किसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र की 1981-82 में अखबारी कागज की मूल हकदारी उसके द्वारा कलेण्डर वर्ष 1980 में अखबारी कागज या सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की वास्तविक खपत के आधार पर उसके औसत परिचालन संख्या वास्तविक रूप से प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र, प्रकाशित दिनों की संख्या, आदि को हिसाब में लेते हुए निर्धारित की जाएगी। यह 1979 में प्रकाशित पृष्ठों की औसत संख्या पर आधारित होगा, सिवाए दैनिक समाचार पत्र के मामले में, जिसने 1980 में उसके पृष्ठों की संख्या प्रति दिवस 8 तक बढ़ाई। ऐसे मामलों में 1980 में पृष्ठों की औसत संख्या हिसाब में ली जाएगी। हकदारी निकालने के लिए अपेक्षित निष्पादन विवरण, जैसा कि अनुलग्नक-2 में है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित करके प्रस्तुत करना चाहिए; जहां कहीं परिचालन संख्या 2000 प्रतियां, प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक होती है।

1.3 समाचारपत्रों तथा नियतकालिक पत्रों को आवेदन करने पर निम्नलिखित प्रकार से मूल हकदारी से अतिरिक्त प्रारंभिक वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है :—

(1) प्रति प्रकाशन दिवस 50,000 प्रतियों से अधिक परिचालन वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों } मूल हकदारी से 5 प्रतिशत अधिक

(2) 50,000 प्रतियों तक परिचालन वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों	मूल हकदारी से 7 प्रतिशत अधिक अथवा 1979 और 1980 के बीच परिचालन की वृद्धि में वास्तविक प्रतिशत जो भी अधिक हो।

1.4 उन समाचार पत्रों, जिन्होंने 1981-82 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी प्राप्त कर ली है, यदि वे चाहें तो, परिचालन में वास्तविक वृद्धि के आधार तर अधिक के पुनरीक्षण के लिए एक बार आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदन पत्रों के साथ इस नीति के अनुलग्नक-2 में निष्पादन विवरण भेजना चाहिए और भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास 31 दिसम्बर, 1981 के पहले पहुंच जाना चाहिए। जिन समाचारपत्रों की प्रति प्रकाशन दिवस परिचालन संख्या 2000 प्रतियां अथवा इससे कम हैं, उनको छोड़कर, दावा की पुष्टि में अनुलग्नक-2 चारटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होना चाहिए। उन समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों के मामले में, जिनकी अखबारी कागज की हकदारी 300 मीट्रिक टन अथवा अधिक है, उनको आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न की अधिप्रमाणित की हुई प्रति और वर्ष 1980-81 का तुलन पत्र भेजना चाहिए।

1.5 उपरोक्त अनुच्छेद 1.2, 1.3 और 1.4 के अनुसार निकाली गई हकदारी ऐसे तथ्यों की दृष्टि से जैसे कि अखबारी कागज की संभावित उपलब्धता, बफर स्टाक में उचित मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता और प्रत्याशित सप्लाई की आम हालत में पुनरीक्षण प्रदाय विभिन्न हो सकता है। उत्पादन/स्टाक में कमी होने की प्रत्याशित हालत में सामान्य किस्म की कटौती भी लगाई जा सकती है।

1.6 भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक किसी भी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र से लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान के तीन महीने से अधिक की किसी अवधि की खपत का लेखा मांग सकते हैं और तदनुसार वह उस समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र की हकदारी को कम कर सकते हैं, अगर वह हकदारी उपरोक्त अनुच्छेदों 1.2, 1.3 और 1.4 की दृष्टि से जितनी मंजूर हुई होती, उससे वह अधिक पाई जाती है।

1.7 उपरोक्त अनुच्छेद 1.2 और 1.3 के अनुसार प्रारंभिक हकदारी निकालने के लिए अनुच्छेद 1.4 के अनुसार और पुनरीक्षण करने समय सरकूलेशन में विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न असाधारण अल्पावधि लुप्तियां जिनमें हड़ताल/तालाबन्दी या अन्य कारण शामिल है, और यह भी कि सरकूलेशन में असाधारण अल्पावधि बढ़ोतरी प्रकाशन के उसी स्थान पर समाचार पत्रों के प्रतियोगिता कार्य में अन्त होने की विवशता अथवा अन्य रुकावट अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थितियों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक जैसा वह उचित समझें प्रत्येक मामले में साधारण औसत सरकूलेशन आदि पर विश्वास रखते हुए, उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसे समाचार पत्रों के मामले में जो असाधारण रूप से लम्बी अवधि के लिए नहीं निकाले जा सके उनकी हकदारी अन्य संगत तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद निकाली जा सकती है।

1.8 मानक अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज के लिए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों की हकदारी का हिसाब 51 ग्राम पदार्थ पर 5 प्रतिशत बढ़ाकर या घटाकर लगाया जाएगा।

1.9 स्वदेशी अखबारी कागज के लिए जब हकदारी निकाली जाएगी, तो उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

2. नए दैनिक और आवधिक

2.1 आवेदक द्वारा परिचालन के प्रोजेक्शन के आधार पर संतुष्ट होने के बाद भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा नए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को प्रथम चार महीने का प्रारंभिक कोटा दिया जाएगा परन्तु दैनिकों के मामले में 8 मानक पृष्ठों और साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रों के मामले में 16 मानक पृष्ठों की अधिकतम 10,000 प्रतियों तक प्रति प्रकाशन दिवस की औसत प्रसार संख्या के आधार पर निकाली गई आवश्यकता से अधिक नहीं होगा। आवेदक को प्रारम्भिक कोटे के आवेदन के साथ ठीक तरह से भरा हुआ अनुलग्नक-3 सहित आवेदक द्वारा निष्पादित बाण्ड देना होगा और विधिवत किसी पंजीकृत बैंक द्वारा कुल आंकित अखबारी कागज जिसके लिए वह प्रारम्भिक रूप से हकदार है के मूल्य के 20 प्रतिशत की गारंटी देनी होगी। कागजाती प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक जब सन्तुष्ट हो जाएं कि यह अखबारी कागज समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशन के लिए उपयोग किया गया है तो यह बॉण्ड रद्द कर दिया जाएगा। तीन महीने के नियमित प्रकाशन के बाद नए समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की सन्तुष्टि के लिए अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रारंभिक रूप से आवंटित किए गए अखबारी कागज के उचित प्रयोग के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वास्तविक निष्पादन के आधार पर वर्ष की हकदारी निकाली जा सके।

2.2 वर्तमान समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों जिन्होंने वर्ष 1980-81 में अखबारी कागज का कोटा प्राप्त नहीं किया है उनको नए समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र माना जाएगा और उनके अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा, उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 में दिए गए आधार पर जैसा भी मामला होगा उनके आवेदन प्राप्त होने के महीने से निकाला जाएगा और आगे की हकदारी उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 के आधार पर बाद को निकाली जाएगी। ऐसा आवेदन पत्र भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत किए गए 1980 के वार्षिक विवरण की प्रतिलिपि सहित भेजे जाने चाहिएं।

3 विशेष मामलों के सिवाए निम्नलिखित श्रेणी और पत्रिकाएं यद्यपि वे समाचार पत्रों के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, अखबारी कागज के कोटे के आवंटन के लिए हकदार नहीं होंगे।

(क) वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री को मुख्य रूप से प्रोत्साहन देने हेतु प्रकाशित पत्र

(ख) उपक्रमों/फार्मों/औद्योगिक सम्बन्धितों द्वारा निकाले गए गृह पत्र/पत्रिकाएं

(ग) कीमत सूचियां, सूचीपत्र, लाटरी समाचार

(घ) वे प्रकाशन जिनका मुफ्त वितरण के लिए उद्देश्य हो

(ङ) उपन्यास

(च) रेसिंग गाइड

(छ) स्कूल/कालेज पत्रिकाएं

(ज) वे समाचारपत्र/आवधिक पत्र जिनकी नियमितता एक वर्ष में 50 प्रतिशत से कम है।

4. ऐसे समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में जिसका कलेण्डर वर्ष 1978, 1979 अथवा 1980 के लिए दावा किए गए परिचालन की अपेक्षा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा कम परिचालन निर्धारित किया गया है, ऐसे नियतकालिक पत्रों/समाचारपत्रों का 1981-82 के लिए हकदारी निर्धारित सरकूलेशन के आधार पर गणन की जाएगी और तदनुसार अखबारी कागज की हकदारी समायोजित की जाएगी। ये समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र उपरोक्त अनुच्छेद 1.4 के अधीन लाभ पाने के योग्य नहीं होंगे जब तक कि उनके सरकूलेशन का पुनः निर्धारण न हो जाए।

4.1 जिन समाचार पत्रों का सरकूलेशन 1978, 1979 अथवा 1980 में अप्रमाणित घोषित कर दिया गया है उनको नया समाचार पत्र माना जाएगा और अखबारी कागज के आवंटन के लिए उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 द्वारा शासित होंगे।

5. आवंटन

5.1 अखबारी कागज की सभी किस्मों स्टेण्डर्ड रोटो और ग्लेज्ड का आवंटन साधारणतः रीलों में किया जाएगा। शीट्स फेड मशीनों में मुद्रित समाचार पत्र तथापि अपनी हकदारी केवल शीटों में प्राप्त करेंगे अगर शीटें उपलब्ध नहीं हैं तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए हकदारी में 5 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी, बशर्ते कि इस बात का प्रमाण दें कि प्रिंटिंग वास्तविक रूप से शीटों में हुआ है।

5.2 समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को अलग-अलग आवंटित कोटा उनको आपस में समायोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यद्यपि प्रकाशन उसी स्वामित्व के अधीन है और/अथवा उनका वही शीर्षक/नाम है और तथापि उनको राज्य व्यापार निगम और/अथवा देशी स्रोतों से अखबारी कागज को उठाने में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए प्रत्येक यूनिट की हकदारी एक साथ इकट्ठा करने की अनुमति दी गई हो।

5.3 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र द्वारा इस नीति के अंतर्गत आवंटित अखबारी कागज का प्राधिकृत कोटा उसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र के नए संस्करण के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार से प्रयुक्त अखबारी कागज का हिसाब अलग से रखा जाएगा। तथापि समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र नए संस्करण के प्रारंभ करने के कम से कम एक महीने, पहले अनुलग्नक-4 के अनुसार नए संस्करण का परियोजित परिचालन पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठों की औसत संख्या आदि और मूल संस्करण से अखबारी कागज के संभावित विचलन के सम्बन्ध में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को सूचना देगा। तदनुसार मूल समाचारपत्र की हकदारी पुनः निर्धारित हो सकती है। तथापि यह हकदारी संशोधित हो सकती है और परिचालन में वास्तविक विभिन्नता के आधार पर प्रकाशन को तीन महीने के बाद नए संस्करण के लिए नयी हकदारी नियत की जा सकती है।

टिप्पणी :—उक्त उद्देश्य के लिए संस्करण का अर्थ है समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र जिसके लिए प्रकाशन के स्थान का विचार किए बिना, वही नाम/शीर्षक हो, उसी भाषा में हो और वही आवधिकता हो जो कि उसी स्वामित्व/प्रबन्धक द्वारा पहले से ही प्रकाशित हो रहे समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का है और उसका समय परिवर्तन के साथ-साथ अंतिम एवं स्थानीय पाठकों की मांग को पूरा करने हेतु और शीघ्र विक्रय हेतु कुछ परिवर्तनों सहित पुनः प्रकाशन/अलग प्रकाशन हो।

6. ग्लेज्ड स्वदेशी और अन्य किस्में

6.1 जिन नियतकालिक पत्रों का तीन महीने से अधिक समय से नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है, उनकी पूरी हकदारी का दावा या उसका एक हिस्सा ग्लेज्ड या रोटो ग्रावर अखबारी कागज में लेने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो।

6.2 स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज के आवंटन का आधार निम्न प्रकार से होगा :—

(1) 400 मीट्रिक टन तक की हकदारी वाले समाचार पत्रों को अपनी जरूरत का अखबारी कागज किसी भी अनुपात में स्वदेशी अथवा आयातित अखबारी कागज दोनों हाई सी सेल्स तथा बफर स्टाक से लेने का विकल्प होगा।

(2) 400 मीट्रिक टन अथवा अधिक के हकदारी वाले समाचारपत्रों को उनकी हकदारी का कम से कम 15 प्रतिशत स्वदेशी अखबारी कागज से लेना होगा। इस प्रकार के समाचार पत्रों को हाई सी सेल से आयातित अखबारी कागज की उनकी हकदारी का कम से कम 75 प्रतिशत के लिए भी आर्डर देने होंगे।

(3) अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा एल/सी की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर लदान नहीं किया जाता तो हाई सी सेल आधार पर आने वाले बफर स्टाक लदान से अनुपातिक मात्रा में आवंटन करने की कोशिश की जाएगी जो बाद को फिर से पूरी की जाएगी।

6.3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज का अनुपात उपलब्धता (समय-समय पर का स्टाक) की दृष्टि से भी परिवर्तन कर सकता है। समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को स्वदेशी कागज उसी आकार में लेना होगा जिस आकार में वह उपलब्ध होगा।

6.4 अगर किसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र द्वारा उनको 1980-81 में अथवा पहले के वर्षों में आवंटित किसी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया हो तो उपयोग न की गई मात्रा को उनकी 1981-82 की हकदारी में समायोजित किया जाएगा।

6.5 जो समाचार पत्र निलम्बित होते हैं अथवा जिनका प्रकाशन बन्द हो जाता है, उनको उपयोग न किए गए अखबारी कागज को वापिस करना होगा।

7. छीजन

7.1 हकदारी पर सभी मामलों प्रिंटिंग में और प्रेस में अखबारी कागज की हुई छीजन के कारण, उस छीजन की क्षतिपूर्ति के लिए एक समान 5 प्रतिशत अतिरिक्त अखबारी कागज की अनुमति होगी। बहुरंगीन छपाई का इस्तेमाल करने वाले नियतकालिक पत्रों के मामले में उस प्रिंटिंग के लिए उनको मंजूर की गई साधारण छीजन से 2 प्रतिशत अधिक की अतिरिक्त की अनुमति होगी।

8. विविध

8.1 आयातित अखबारी कागज का वितरण का कार्य पूर्णतया राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक सभी समाचारपत्र आवेदकों को पूरी हकदारी विधिवत निकाल कर राज्य व्यापार निगम को देगा, जो आयातित अखबारी कागज हाई सी सेल या बफर से राज्य व्यापार निगम द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अनुपात के अनुसार होगा जैसे कि उपरोक्त अनुच्छेद 6.2(2) में निर्धारित है।

8.2 अखबारी कागज की हकदारी के स्वदेशी हिस्से के लिए सम्बन्धित मिलों को प्राधिकरण सीधे भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा जारी होंगे।

8.3 अखबारी कागज आवंटन नीति या अखबारी कागज नियंत्रण आदेश या दोनों के आदेशों का अनुपालन न करने वाले समाचार पत्रों को उस समय तक अखबारी कागज के कोटे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह आदेशों को ठीक तरह से पालन नहीं करते। अखबारी कागज डीलरों/एजेन्टों को अगर वे अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करेंगे तो उनको हाई सी सेल और बफर पर डिलीवरी के लिए प्राधिकृत एजेन्टों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.4 जो समाचारपत्र अपना आबंटन आई सी सेल अथवा बफर स्टाक अथवा देशी स्रोतों से आबंटन आदेश प्राप्त होने के दो महीने के भीतर नहीं उठाते हैं, वे समाचारपत्र आगे दोनों आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज का प्राधिकरण खोने के लिए उत्तरदायी होंगे। तथापि, जिनकी हकदारी 50 मीट्रिक टन से कम है उनको छः महीने के भीतर उनका आबंटन उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

8.5 जब समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को हाई सी सेल के आधार पर आबंटन किया जाता है उनको राज्य लघु उद्योग विकास निगम या (ऐसा कोई अन्य निगम जो राज्य में कार्यरत है) के द्वारा अथवा उनके प्राधिकृत ऐजेन्टों के द्वारा भी डिलिवरी लेने की अनुमति होगी। हाई सी सेल की डिलिवरी विदेशी सप्लायर द्वारा न्यूनतम बुकिंग मात्रा के अधीन होगी। ऐसे छोटे समाचारपत्र, जो अपनी हकदारी कम होने के कारण हाई सी सेल आबंटन की इस शर्त को पूरा नहीं करते तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जा सकते, वे समाचारपत्र दूसरे छोटे समाचारपत्रों के साथ अपनी हकदारी मिला सकते हैं और अखबारी कागज हाई सी सेल से राज्य लघु उद्योग विकास निगम (या ऐसा कोई अन्य निगम, जो राज्य में कार्यरत है) द्वारा अथवा उनके लिए कार्य कर रहे प्राधिकृत ऐजेन्टों के द्वारा ले सकते हैं।

8.6 स्वदेशी मिलें चूंकि एक वैगन से कम भेजने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए, कम मात्रा वाले अलाटियों को उन्हें आबंटित स्वदेशी अखबारी कागज के परिवहन की व्यवस्था अपने आप करनी होगी।

8.7 अखबारी कागज के आबंटन/खपत का निश्चय करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र की मुफ्त वितरित की गई प्रतियों की संख्या, बिना बिकी लौटाई गई प्रतियों की संख्या अथवा अन्य कोई मुद्रित प्रतियां जो न तो बिकी हैं और न ही मुफ्त वितरित की गई, पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि इनकी मात्रा मुद्रण आदेश के उचित प्रतिशत के अनुसार हो और किसी भी हालत में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न हों :—

प्रसार संख्या	दैनिक त्रि और द्विसाप्ताहिक	साप्ताहिक पाक्षिक	अन्य
2,500 तक	10%	20%	25%
2,500 और 5,000 के बीच	10%	15%	20%
5,000 और 10,000 के बीच	10%	10%	15%
10,000 से अधिक	5%	5%	10%

8.8 समाचारपत्रों द्वारा 1980-81 में खपत की गई/स्टाक में रखी गई मात्रा निश्चित करने के लिए निर्यात प्रोन्नति इत्यादि के अंतर्गत 1980-81 में प्राप्त किया गया अखबारी कागज भी हिसाब में लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस मार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-5 में सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

9.1 जहां आवेदन पत्र औपचारिक रूप से पूर्ण नहीं है या उक्त लिखित किसी टिप्पणी का अनुपालन नहीं करता, जिसमें आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की रियायत भी शामिल है, समाचारपत्रों के पंजीयक मामले के प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को ठीक और विधिमान्य कारणों से हटा सकते हैं। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक इस नीति की किसी एक अथवा सभी शर्तों में अच्छे और विधिमान्य कारणों के लिए ढील दे सकते हैं।

9.2 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को निकालने की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए भी समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी कागज के कोटे को प्राधिकृत किया जा सकता है, जहां पर ऐसे उद्देश्य समाचारपत्र के उद्योग से सम्बन्धित हों जैसे कि छपाई मशीन में प्रयोगात्मक प्रयोग अथवा इसी प्रकार का कोई और सम्बद्ध या सम्बन्धित प्रयोजन इस प्रयोजन के लिए, 5,000 मीट्रिक टन की मात्रा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के निपटान पर निर्भर होगा।

अनुलग्नक-2

कलेण्डर वर्ष 1980 की अवधि के लिए परिचालन संख्या आदि संबन्धित सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

(यह प्रमाणपत्र सनदी लेखापाल के सरनामे पर टाइप किया जाए)

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम ..... 3. भाषा .....
2. प्रकाशन का स्थान ..... 4. आवधिकता (पीरियाडिसीटी)

	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	वर्ष का औसत
क. प्रति प्रकाशन दिवस प्रति मास छापी गई प्रतियों की औसत संख्या	1980													
ख. प्रति प्रकाशन दिवस प्रति मास पर बेची गई प्रतियों की औसत संख्या	1980													
ग. प्रति प्रकाशन दिवस प्रतिमास पर मुफ्त वितरण की गई मानार्थ बाउचर विनियम बोनसनमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित प्रतियों की औसत संख्या	1980													
घ. प्रतिमास अनबिकी, वापिस की गईं और अन्य मुद्रित प्रतियों की														

	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित-म्बर	अक्तू-बर	नव-म्बर	दिस-म्बर	वर्ष का औसत
औसत संख्या किन्तु (ख) और (ग) में शामिल नहीं की गई।	1980													
ङ. समाचार पत्र/नियत कालिक पत्र का प्रति मास का वर्ग सेंटीमीटर में औसत आकार	1980													
च. प्रति प्रकाशन दिवस समाचार पत्र/नियत-कालिक पत्र के पृष्ठों की प्रति माह की औसत संख्या 1980	1979													
छ. प्रति मास वास्तविक प्रकाशन दिवसों की संख्या	1980													
कलेण्डर वर्ष 1980 में खपत की गई कुल अखबारी कागज की मात्रा (मात्रा मीट्रिक टनों में)														
कलेण्डर वर्ष 1980 में खपत किए गए सफेद कागज की मात्रा (मीट्रिक टनों में)														

प्रकाशक के हस्ताक्षर———————

दिनांक———————

सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

मैंने/हमने कलेण्डर वर्ष 1980 की अवधि का सर्वश्री———————(पत्र का नाम भाषा और आवधिकता) के हिसाब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार से कलेण्डर वर्ष 1980 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा किताबों के अनुसार प्रवत्त विवरण में प्रचार संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण करता है।

तारीख———————

सनदी लेखापाल की मुहर

हस्ताक्षर———————

1 उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. पंजीकरण संख्या———————

3. पता———————

———————

———————

अनुलग्नक-3

नए दैनिकों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिया जाने वाला विवरण

1. समाचार पत्र/पत्रिका का नाम
   (क) नाम
   (ख) भाषा
   (ग) आवधिकता
2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख
3. प्रकाशन आरंभ करने की प्रस्तावित तारीख
4. छपाई हेतु प्रतियों की औसत प्रस्तावित संख्या
   (क) बिक्री हेतु प्रतियों की संख्या
   (ख) मुफ्त वितरण हेतु प्रतियों की संख्या
5. प्रकाशन का स्थान और मुद्रणालय का ब्यौरा

(क) मुद्रणालय के मालिक का विवरण

नाम :

पता :

(ख) छपाई की क्षमता छपाई/मुद्राक्षर-विन्यास यंत्र (कम्पोजिंग मशीन) का मेक, माडल प्रति घंटा की गति और मशीन की वर्तमान आयु लिखें। (अर्थात् मशीन कब की बनी हुई है।)

6. क्या अनुसूचित बैंक के नमूने के फार्म में बैंक की प्रत्याभूति (गारन्टी) दी गई है।

7. यदि हां तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारन्टी) की रकम लिखें।

8. क्या अखबारी कागज अभिकर्त्ता (एजेन्ट) द्वारा उठाया जाएगा।

9. यदि हां तो एजेन्ट का नाम लिखें

10. अखबारी कागज को उठाने की शर्ते किश्तों में है या थोक में, बफर स्टाक/हाई सी सेल्स में

11. सम्पादक का नाम

घोषणा

मैं/हम यहां इस बात की घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

हस्ताक्षर————————

स्थान : नाम साफ बड़े अक्षरों में————

तारीख : पद————————

निवास स्थान का पता————

————————

बैंक गारन्टी के लिए फार्म

सेवा में,

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक,
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय),
वन्दना भवन, (6वां तल)
11-टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली -110001

प्रिय महोदय,

जबकि सर्वश्री................................
(इसके बाद "अलाटी" कहा जाएगा) ने समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ अखबारी कागज की निम्नलिखित मात्रा के आयात के लिए आपसे निवेदन किया है।

नाम.....................भाषा......................

आवधिकता................प्रकाशन का स्थान ....

लगभग मात्रा ....लगभग सी आई एफ मूल्य रुपये ....

और जबकि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए अग्रिम आवंटन की शर्तें के अनुसार, आवेदन की गई अखबारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य का 20% के लिए अलाटी को बैंक गारन्टी देना अपेक्षित है।

अब उपरोक्त वचनों के विचारार्थ में और अलाटी के निवेदन पर, हम (बैंक का नाम और पता) एतद्द्वारा शर्त के रूप में अटल गारंटी देते हैं और यह कि विक्रय कीमत की अदायगी न करने के मामले में और/अथवा आपके द्वारा निर्धारित/निर्धारित होने वाली सभी अथवा किसी भी शर्त के पालन करने में अलाटी की ओर से अन्य कोई चूक/असफलता का भार अपने ऊपर लेते हैं और हम आपकी प्रथम मांग पर...... रुपये तक कोई भी राशि बिना विलम्ब अथवा अलाटी को बिना किसी हवाले के देंगे।

आपका यह निर्णय कि अलाटी की ओर से चूक/असफलता हुई है, अन्तिम, निर्णायक और हम पर बाध्य होगा।

यह गारन्टी अलाटी को आपके द्वारा बताई गई किसी प्रकार के बचाव अथवा अनुग्रह और/अथवा आप द्वारा निर्धारित शर्तों में किसी परिवर्तन द्वारा और/अथवा उसी के गठन में और/अथवा अलाटी द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

यह गारन्टी जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य है और उसकी समाप्ति की तारीख के छः महीने भीतर उसके अन्तर्गत रकम की मांग भेजनी चाहिए।

भवदीय,

दिनांक : प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4

(विद्यमान समाचार-पत्रों के नए संस्करणों के बारे में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक की सूचना के लिए फार्म)

1. समाचार-पत्र का नाम (प्रस्तावित संस्करण)
2. प्रकाशन का स्थान (पूरा पता लिखें)
3. भाषा और आवधिकता
4. प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख
5. (1) दैनिक समाचारपत्र के मामले में सप्ताह के दिनों की संख्या लिखें जिस दिन यह प्रस्तावित समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।
   (2) साप्ताहिक पत्रिका के मामले में लिखें कि क्या उसके प्रत्येक सप्ताह में या महीने में चार बार प्रकाशित होने का प्रस्ताव है।
6. (क) नए प्रकाशन का प्रस्तावित माप
   (1) लम्बाई ....से०मी०
   (2) चौड़ाई ....से०मी०
   (3) पृष्ठों की संख्या
   (ख) प्रस्तावित छपाई होने वाली प्रतियों की औसत संख्या
   (ग) आंकलित औसत सरकुलेशन
   (1) बिक्री द्वारा
   (2) मुफ्त वितरण द्वारा

(घ) मुख्य पत्र के सरकुलेशन का क्षेत्र जहां पर प्रस्तावित प्रकाशन जाएगा ।

7. प्रकाशन का स्थान और मुद्रणालय का विवरण

(क) मुद्रणालय के मालिक का विवरण

नाम

पता]

(ख) छपने की क्षमता, छपाई, कम्पोजिंग, मशीन का मेक, माडल, प्रति घंटा की गति और मशीन की वर्तमान आयु लिखें (अर्थात् मशीन कब की बनी हुई है)

(ग) क्या मशीनरी के पार्ट मुख्य समाचार-पत्र के कार्यालय से लाए गए हैं या नए प्राप्त किए गए हैं ।

8. समाचार-पत्र या समाचार-पत्रों का ब्यौरा दें जिनके कागज का कोटा, प्रस्तावित नया प्रकाशन शुरू करने के लिए कम किया जाएगा । मात्रा भी लिखें ।

यह भी लिखें कि क्या अखबारी कागज की पूर्ति मुख्य समाचार-पत्र के पृष्ठों की कमी द्वारा या उसके वितरण की संख्या कम करके करना प्रस्तावित है ।

9. (क) मालिक का नाम (पता भी लिखें)

(ख) यूनिट के समाचार-पत्रों/नियत-कालिक पत्रों की संख्या (ऐसे समाचार-पत्रों की सूची उनके ब्यौरे सहित संलग्न करें) ।

(ग) स्वामित्व का प्रकार (सम्बन्धित कालम पर निशान लगाएं) कि यह (1) कम्पनी (2) फर्म (3) सोसाइटी (4) एसोसिएशन

(5) ट्रस्ट में से कौन है

10. क्या मालिक एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन पंजीकृत है, यदि हां, तो पूरा ब्यौरा दें ।

घोषणा

मैं/हम यहां इस बात की घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(साफ अक्षरों में) .....

तारीख ..... पद .....

अनुलग्नक—5

निर्यात प्रोन्नति प्रयोजन के लिए 1980 के दौरान समाचार-पत्रों के प्रकाशन के लिए अखबारी कागज की खपत दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पत्र का नाम, उसकी मात्रा आवधिकता और प्रकाशन का स्थान	अखबारी कागज की खपत (टनों में)				अभ्युक्तियां
		ग्लेज्ड	अनग्लेज्ड	लेपा	कुल	
		ग्राम	ग्रामातित			
1	2	3	4	5	6	7

प्रकाशक के हस्ताक्षर———

नाम बड़े अक्षरों में———

स्थान———

तारीख———

सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र

मैंने/हमने कलेण्डर वर्ष 1980 की अवधि का सर्वश्री ———(पत्र का नाम, भाषा और आवधिकता) के हिसाब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे/हमारे विचार से कलेण्डर वर्ष 1980 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा किताबों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण करता है ।

तारीख———

सनदी लेखापाल की मुहर

हस्ताक्षर———

1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं
2. पंजीकरण संख्या———
3. पता ———

अनुलग्नक- 6

फार्म-आई

अखबारी कागज के आबंटन के लिए समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के आवेदन पत्र का फार्म ।

भाग—1

1. आवेदक का नाम
2. समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्र का नाम
3. डाक का पूरा पता
4. (क) दिनांक जब से समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है
   (ख) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या
   (ग) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख
5. सम्बन्धित का प्रकार अर्थात् सार्वजनिक/निजी/स्वामित्व आदि तथा निदेशकों/भागीदारी आदि के नाम
6. 12 महीने के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य
7. (क) क्रमबद्ध वितरण आवश्यकताएं
   (ख) प्राधिकृत किए गए एजेण्ट का नाम
8. समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जो आवेदक के स्वामित्व में है

समाचार पत्रों का नाम	भाषा तथा नियतकालिकता	प्रकाशन का स्थान	क्या सरकार द्वारा अखबारी कागज [illegible] है
1	2	3	4

9. नये समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रति प्रकाशन-विषय के प्रसार आदि का विवरण
   (क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि
   (ख) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या
   (ग) औसत पृष्ठ संख्या
   (घ) समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के एक पृष्ठ का औसत क्षेत्र (वर्ग से० मी० में)
   (ङ) प्रकाशन दिवसों की संख्या
10. अखबारी कागज का विवरण (ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड/नेवा की आवश्यकता का अलग-अलग उल्लेख कीजिए)

मद संख्या	मात्रा मीट्रिक टनों में	औसत मूल्य	(सी० आई०एफ० रुपयों में)
1	2	3	4

वर्ष 1980-81 की अवधि में की गई खपत

वर्ष 1981-82 के लिए आवश्यकता

11. पिछली लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय से अखबारी कागज लिया गया था
12. (क) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटबेड/लैटर प्रेस)
    (ख) अपेक्षित रीलों/शीटों का आकार

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं । मैं/हम यह भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि मुझे/हमें जो भी आवंटन प्रस्तुत विवरण के आधार पर स्वीकृत होगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए विवरण गलत या असत्य हैं तो वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है ।

2. मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि अगर अखबारी कागज का आबंटन किया जाता है तो यह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेस/अहाता/संस्थापन में उपयोग होगा ।

3. मैं/हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि सरणीबद्ध की गई मद (मदों) का आबंटन सरणीबद्ध एजेंसी के जरिए आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शर्तों पर माल का निकासी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघन पर आयात तथा निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम, 1947, यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत निर्गम आदेश की व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट होगा ।

4. मैं/हमने आयात नीति/आयात निर्यात प्रक्रिया की 1980-81 की हस्त पुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है ।

हस्ताक्षर . . . .

नाम स्पष्ट अक्षरों में . . . .

पद का नाम . . . .

निवास स्थान का पता . . . .

. . . .

दिनांक . . . .

भाग—2

आय-कर घोषणा

(अ) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनकी आय-कर योग्य नहीं है ।
मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं, कि मैं/हम किसी भी आय-कर एवं अग्रिमकर देने के उत्तरदायी नहीं हूं/हैं, क्योंकि मेरी/हमारी आय चालू लेखा वर्ष एवं गत चार लेखा वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कम रही है जिस पर कि आय-कर नहीं लगता ।

(ब) उन व्यक्तियों से सम्बंधित जिनकी आय-कर योग्य है ।
मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करते हूं/हैं कि :—
   (1) मैंने/हमने अपनी आय तक की आय के अपनी/हमारी देय राशि का ब्यौरा/ब्यौरे आय-कर विभाग को दे दिया है ।
   (2) मैंने/हमने उन्हीं कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं, के अतिरिक्त शेष सभी करों सहित अग्रिम कर जो हम पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत देय थे उसका भुगतान कर दिया है ।

(3) मैं/हम आय-कर/सम्पत्तिकर छिपाने के आरोप में गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान दण्डित*/सिद्धदोष घोषित नहीं किया/किए गया हूं/गए हैं ।

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करते हूं/हैं कि उपरोक्त ये घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे/हमारे प्रचुर हित** निहित है/या उन व्यक्तियों की फर्मों/एसोसिएशन जिसका मैं/हम क्रमश. भागीदार या सदस्य हूं/हैं, में भी लागू होते हैं ।

या

उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि आवेदक कम्पनी में या आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों या आवेदक फर्म के भागीदार में प्रचुर हित** रखते है ।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पता .....

स्थाई खाता नं०

निर्धारण करने वाले आय-कर अधिकारी का पद .....

निर्धारण योग्य .....

* यदि जुर्माने की लेवी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त या आय-कर अपील अधिकरण में रुकी पड़ी है तो ऐसी सजा (पेनल्टी) इस घोषणा के लिए नहीं ली जानी चाहिए ।

** "प्रचुर हित" शब्दों का वही अर्थ है जो कि आयकर अधिनियम 1961, सेक्शन 40 (ए) में है ।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

PUBLIC NOTICE NO. 1-PR-NP/81

New Delhi, the 28th April, 1981

File No. 33(49)/81-PR.—In terms of para 7 of Appendix 9 of the Import Policy for 1981-82, Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the basis of newsprint entitlement to newspapers/periodicals and other procedure relating to it as is annexed in the Annexure I, II, III, IV, V & VI of this Public Notice and shall be applicable from April 1, 1981 to March 31, 1982. The price of imported newsprint in all varieties will be fixed separately for each quarter of the above licensing year and the same will be announced through State Trading Corporation of India, New Delhi.

SURESH MATHUR Jt. Secy.

ANNEXURE I

NEWSPRINT ALLOCATOIN POLICY 1981-82

1. Entitlement

1.1 All applications for allocation of newsprint must be made in form I (reproduced as Annexure VI to this policy) and supported by such documents as required under subsequent paragraphs of this policy. The applications should be addressed to the Registrar of Newspapers for India, New Delhi. No application for initial allocation of newsprint will be entertained after October 31, 1981, from a newspaper which was being published as on March 31, 1981.

1.2 The basic entitlement of newsprint of an individual newespaper/periodical in 1981-82 will be determined on the basis of the actual consumption of newsprint or white printing paper or both in the calendar year 1980, taking into account its average circulation, the average page area actually published, the number of publishing days etc. It will be based on the average number of pages published in 1979, except in the case of a daily newspaper which increased the number of its pages up to 8 per day in 1980. In such cases, the average number of pages in 1980 will be taken into account. The performance particulars required for working out the entitlement should be furnished in the form as in Annexure II, duly certified by a Chartered Accountant wherever the circulation exceeds 2,000 copies per published day.

1.3 Newspapers and periodials may be allowed on application an initial increase over the basis entitlement as follows :—

(i) Newspapers/and periodicals with circulation above 50,000 copies per publishing day.	5 per cent over the basic entitlement.
(ii) Newspapers/periodicals with circulation upto 50,000 copies per publishing day.	7 per cent over the basic entitlement, or the actual percentage in increase in circulation between 1979 and 1980 whichever is more.

1.4 Newspapers which have secured the basic entitlement of newsprint for 1981-82 can, if they so want, apply for upward revision on the basis of actual increase in circulation once. These applications must be accompanied by the performance particulars in annexure II to the policy and should reach the Registrar of Newspapers not later than December 31, 1981. Except in the case of newspapers with a circulation of 2,000 copies or less per publishing day, annexure II must be countersigned by a Chartered Accountant in support of the claim. In the case of newspapers and periodicals whose entitlement of newsprint is 300 mts. or more, the application must be accompanied by an authenticated copy of the Income tax return and the balance sheet for the year 1980-81.

1.5 The entitlement worked out in accordance with paras 1.2, 1.3 and 1.4 above may be revised/varied in the light of such factors as the likely availability of newsprint, the need to maintain appropriate quantities in buffer stock and the general state of anticipated supplied. Cuts of a general nature may also be applied in the light of anticipation of shortfalls in supplies/production/stocks.

1.6 The Registrar of Newspapers may call upon any newspaper/periodical to render account of the consumption for any period of not less than three months during the licensing year and he may reduce the entitlement of that newspaper/periodical accordingly, if the same is in excess of what would be admissible in the light of paras 1.2, 1.3 and 1.4 above.

1.7 In working out the initial entitlement in terms of para 1.2 and 1.3 above and in making revision in terms of para 1.4 above, abnormal short-term drops in circulation arising from special circumstances including strikes/lockouts or other reasons as also abnormal short-term increases in circulation attendant upon closure or disruption of work in competing newspapers at the same place of publication or any other extraordinary circumstances, may be ignored by the Registrar of Newspapers as may be considered appropriate by him in each case, reliance being placed upon normal average circulation, etc. In the case of newspapers which could not come out for abnormally long period the entitlement may be worked out after taking into account other relevant factors.

1.8 The entitlement of newspapers/periodicals for standard newsprint as also indigenous newsprint will be worked out on the basis of 51 grammes substance plus or minus 5 per cent.

1.9 When the entitlement is made for indigenous newsprint, it will be increased by 15 per cent.

2. New dailies and periodicals

2.1 A new newspaper/periodical will be allowed an initial quota which will be determined by the Registrar of Newspapers for India upon his satisfaction with regard to the projection of circulation by the applicant but not exceeding the requirement calculated on the basis of average circulation.

upto a maximum of 10,000 copies of 8 standard pages in the case of dailies and 16 standard pages in the case of weeklies, triweeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies, per publishing day for the first four months. The application for the initial quota along with the completed proforma at Annexure III will be accompanied with a bond executed by the applicant and duly guaranteed by any scheduled bank for 20 per cent of the value of the newsprint to which he is entitled initially. This bond will be cancelled on the production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspaper/periodical. After three months of regular publication, the new newspaper/periodical should produce evidence as per Annexure II to the satisfaction of the RNI about proper utilisation of the newsprint initially allocated to it, so that the entitlement for the year is made out on the basis of the actual performance.

2.2 Existing newspapers/periodicals which did not obtain newsprint in the year 1980-81 will be treated as new newspapers/periodicals, and their initial quota will be calculated on the basis given in para 2.1 above as the case may be from the month of receipt of their applications and further entitlements may be worked out subsequently in terms of para 2.1 above. Such application must be accompanied by the copy of the annual return for 1980 submitted to RNI.

3. Save in special cases, the following categories of newspapers and periodicals will not be entitled for allocation of newsprint, though they are classified as newspapers :

(a) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(b) House journals/magazines brought out by undertakings/firms/industrial concerns.

(c) Price lists, catalogues and lottery news.

(d) Publications intended for free distribution.

(e) Fiction.

(f) Racing guides.

(g) School/College Magazines.

(h) Newspapers/periodicals with a regularity of less than 50 per cent in a year.

4. In the case of newspapers/periodicals, the circulation of which has been assessed by the RNI to be lower than the claimed circulation for the calendar year 1978, 1979 or 1980, the entitlement for 1981-82 of such periodicals/newspapers will be calculated on the basis of assessed circulation and the newsprint entitlement adjusted accordingly. These newspapers/periodicals will not be eligible for benefit under para 1.4 above until their circulation is reassessed.

4.1 Newspapers the circulation of which is declared as unestablished in 1978, 1979 or 1980 will be treated as new newspapers and governed by para 2.1 above for allocation of newsprint.

5. Allocation

5.1 Allotment of all types of newsprint—standard, roto and glazed—will generally be made in reels. Newspapers printed on sheet-fed machines will, however, receive their entitlement only in sheets. In case sheets are not available, the entitlement will be raised by 5 per cent for conversion of reels into sheets on giving proof that printing is actually carried out only in sheets.

5.2 Newspapers/periodicals will not be permitted to adjust between them the quota allotted to each of them even when the publications are under the same ownership and/or bear the same title/name and even through they may have been allowed to club together the entitlement of each unit for administrative convenience in lifting of newsprint from STC and/or indigenous sources.

5.3 The authorised quota of newsprint allotted under the policy to a newspaper/periodical may, however, be used for a new edition of the same newspaper/periodical and the newsprint so used shall be accounted for separately. However, the newspapers/eprriodicals will give intimation as per Annexure IV to the RNI at least one month prior to the start of the new edition, in respect of the projected circulation, page area, average number of pages, etc. of the new edition and likely diversion of newsprint from the parent edition. The entitlement of the parent newspaper may be reassessed accordingly. However, this entitlement may be revised and a fresh entitlement fixed for the new edition, after three months of publication on the basis of the actual variation in circulation.

NOTE :—For the above purpose, an 'edition' is a newspaper/periodical which, irrespective of the place of publication, bears the same name/title, is in the same language and has the same periodicity as the newspaper/periodical already being published by the same ownership/management, and is a reprint separate run of the newspaper/periodical with variations dictated by the time factor and to meet requirements of existing local readership and speedier distribution.

6. Glazed, indigenous and other varieties

6.1 Periodicals which have been in regular publication for more than three months, may be allowed to claim their full entitlement or a portion of it in glazed or rotogravure newsprint subject to availability.

6.2 The basis of allocation of indigenous and imported newsprint will be as follows :—

(i) Newspapers with an entitlement of upto 400 mts. will have the option to lift any proportion of their requirements from indigenous or imported newsprint—both from high sea sales as well as from buffer stock.

(ii) Newspapers with entitlement of 400 mts. or more will have to lift at least 15 per cent of their entitlement from indigenous newsprint. Such newspapers will also have to place orders for at least 75 per cent of their entitlement of imported newsprint from high sea sales.

(iii) If shipment is not effected within 120 days of receipt of L/C's by STC, efforts will be made to allot proportionate tonnage from incoming buffer stock shipments on high sea sales basis which will be later replenished.

6.3 The Registrar of Newspapers may also vary the proportion of indigenous and imported newsprint in the light of availabilty of stocks from time to time. Newspapers/periodicals will have to take indigenous newsprint in sizes that are made available.

6.4 If any newspaper/periodical had not utilised any quantity allotted in 1980-81 or in previous years, the unutilised quantity will be adjusted against its entitlement for 1981-82.

6.5 Newspapers which may suspend or cease publication shall return the newsprint not utilised.

7. Wastage

7.1 A uniform 5 per cent extra newsprint will be allowed in all cases on entitlement to compensate damage caused to the newsprint in transit and in the Press. In case of periodicals using multicoloured printing, extra compensation of 2 per cent will be allowed over the normal wastage.

8. Miscellaneous

8.1 The work relating to distribution of imported newsprint will be handled entirely by the State Trading Corporation. The Registrar of Newspapers for India will give complete entitlement duly worked out of all the newspaper applicants to STC, which in turn will give imported newsprint either from high sea sales or from buffer in such ratio as may be prescribed from time to time according to the basis laid down in para 6.2(ii) above.

8.2 Authorisations for the indigenous portion of the newsprint entitlement will be issued direct by the Registrar of Newspapers for India to the Mills concerned.

8.3 Newspapers which do not comply with the provisions of the Newsprint Allocation Policy or Newsprint Control Order or both, will not be allowed newsprint quota until they comply with the provisions. Newsprint dealers/agents will not be allowed to act as authorised agents for delivery on high sea sales and buffer if they do not comply with the provisions of the Newsprint Control Order.

8.4 Those newspapers which do not lift their allotments from high sea sales or buffer stocks or from indigenous sources within a period of two months of the receipt of the allocation order, will be liable to lose further authorisation both for, imported newsprint and indigenous newsprint. However, those with an entitlement of less than 50 mts may be allowed to lift their allotments wibin six months.

8.5 Newspapers/periodicals which are given allotment on high sea sales basis, will be allowed to take delivery also through the State Small Industries Development Corporations (or any other such Corporation functioning in the State) or through their authorised agents. Delivery on high sea sales basis will be subject to the minimum quantity booked by the foreign supplier. Small newspapers which do not fulfil this condition of high sea sales allocations because their entitlement is too small to be covered by that arrangement, can also club their entitlement with other small newspapers and get the newsprint from high sea sales through either the State Small Industries Development Corporation (or any other such Corporation functioning in the State) or through their authorised agents acting on their Behalf.

8.6 Since Indian Mills are not in a position to despatch consignment of less than one wagon load, allottees of smaller quantities will have to make their own arrangements for transport of such newsprint allotted to them.

8.7 The number of copies distributed free, unsold returns or any other copies printed but neither sold nor distributed free, will be taken into consideration for purpose of determining the entitlement/consumption of newsprint, provided that these represent a reasonable percentage of their print order and in any case not exceeding the following limits :—

Circulation	Dailies tri-& bi-weeklies	Weeklies & fortnightlies	Others
Upto 2,500	10%	20%	25%
Between 2,500 and 5,000	10%	15%	20%
Between 5,000 and 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

8.8 Newsprint obtained in 1980-81 under the scheme for Export Promo ion etc. will also be taken into account for determining quantity utilised/held in stock by the newspapers in 1980-81. For this purpose, information should be furnished in Annexure V to this Public Notice.

9.1 In cases where an application may not be formally complete or does not comply with any or all of the requirements above, the Registrar of Newspapers for India may waive the procedural requirements including relaxation of last dates for receipt of applications for good and valid reasons. The Registrar of Newspapers for India may also relax any of the conditions of the Policy for good and valid reasons.

9.2 Newsprint may be authorised by the Registrar of Newspapers for India for specialised purposes other than the requirements for the production of newspapers/periodicals where such purpose may be related to the newspaper industry such as experimental use in printing machinery manufacture or any other cognate or germane purposes. For this purpose, a quantity of 5,000 mts. will be at the disposal of the Registrar of Newspapers for India.

ANNEXURE—II

Form of Chartered Accountant's Certificate regarding circulation etc. for the calendar year 1980

(To be typed on the letter-head of the Chartered Accountant)

1. Name of the Newspaper/Periodical..... 3. Language .....
2. Place of Publication ..... 4. Periodicity .....

(a)	Average no. of copies printed month-wise per publishing day	1980	Jan.	Feb.	Mar.	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Average for the
(b)	Average no. of copies sold monthwise per publishing day	1980													
(c)	Average no. of copies distributed free monthwise per publishing day (including complementary, voucher, exchange, bonus sample and office copies	1980													
(d)	Average no. of month-wise unsold returns and other copies printed but not included in (b) & (c)	1980													
(e)	Average size of the month-wise of the newspaper/perlodical in sq-cm.	1980													
(f)	Average no. of pages month-wise of the newspaper/periodical per publishing day	1979													
		1980													
(g)	Actual no. of publishing days monthwise	1980													

Total consumption of newsprint in mts (Qty. in mts.) during the calendar year 1980 .....

Total consumption of white printing paper in mts. during the year 1980. .....

Signature of the publisher .....
Date .....

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of M/s..... (name, language and periodicity of the paper) published for the calendar year 1980 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, page, size and number of publishing days for the calendar year 1980 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Date :..... Signature .....

Stamp of the Chartered Accountant

1. Name and signature of the person who has signed the certificate.
2. Registration No.....
3. Address .....
   .....

ANNEXURE—III

Statement to be given by the publishers of New Daily/Periodical

1. Name of the Newspaper/Periodical
   (a) Name . . . . . .
   (b) Language . . . . . .
   (c) Periodicity . . . . . .
2. Date of filing the latest declaration . . . . . .
3. Proposed date of commencement of the publication . . . . .
4. Average number of copies proposed to be printed.
   (a) No. for sale . . . . . .
   (b) No. for free distribution . . . . . .
5. Place of printing and particulars of the Press
   (a) Particulars of the owner of the press
   Name . . . . . .
   Address . . . . . .
   (b) Printing capacity:
   Details of printing/composing Machine indicating the Make, model, speed per hour and present life of the Machine . . . . .
6. Whether bank guarantee has been executed in the specimen form of the Scheduled bank . . . . . .
7. If so, the name of the bank and value of the guarantee . . . . .
8. Whether newsprint is to be lifted through agent . . . . . .
9. If so, the name of the agent . . . . . .
10. The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer stock/high sea sales . . . . . .
11. Name of the Editor . . . . . .

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature
Name in Block letters
Designation
Residential address:

PROFORMA FOR BANK GUARANTEE

To

The Registrar of Newspapers for India,
(Ministry of Information & Broadcasting),
Vandhna Building (6th Floor),
11-Tolstoy Marg,
NEW DELHI—110001.

Dear Sirs,

Whereas M/s.————————————————(hereinafter referred to as "Allottee") have applied to you for import of the under-mentioned quantity of newsprint for publication of the newspaper.

Name ————————————————Language ————————————
Periodicity ————————————————Place of publication————————————
Approx. Quantity Approx. CIF price Rs.

———————————————— ————————————————

And whereas as per conditions of the advance allocation for the proposed publication, Allottee is required to have a Bank Guarantee for 10% of the approximate value of the newsprint quantity applied for.

Now in consideration of the above premises and at the request of the Allottee, we (Name and address of the Bank) hereby conditionally irrevocably guarantee and undertake that in the event of non-payment of sale price and/or any other default/failure on the part of Allottee to observe all or any of the conditions prescribed/to be prescribed by you, we shall on your first demand pay to you, any sum upto Rs.————————without demur or without any reference to Allottee.

Your decision that there has been a default/failure on the part of the Allottee shall be final, conclusive and binding on us.

This guarantee shall not be affected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allottee and/or by any change in the conditions prescribed by you and/or in the constitution of the same and/or the Allottee.

The guarantee is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be referred within six months of the date of its expiry.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS

ANNEXURE—IV

(Form for intimation to RNI about new editions of existing newspapers)

1. Name of the newspaper (proposed edition) . . . .
2. Its place of publication (give full address) . . . .
3. Language and periodicity . . . .
4. Proposed date of publication . . . .
5. (i) In case of daily, state number of days on which the newspaper is proposed to be published in a week . . . .
   (ii) In case of a weekly, state whether it is proposed to be published every week or four times a month . . . .
6. (a) Proposed size of the new edition.
   (i) Length....................cm.
   (ii) Width....................cm.
   (iii) No. of pages....................
   (b) Average number of copies to be printed (Proposed) . . . .
   (c) Estimated average circulation . . . .
   (i) through sale . . . .
   (ii) through free distribution . . . .
   (d) The circulation of the parent paper in the area to be served by the proposed edition . . . .
7. Place of printing and particulars of the Press.
   (a) Particulars of the owner of the Press:
   Name . . . .
   Address . . . .

(b) Printing capacity

Details of printing/composing Machines indicating the make, model, speed per hour and present life of the Machine . . . . .

(c) Whether part of the machinery shifted from the parent newspaper or newly acquired . . . . . .

8. Give details of the newspaper or newspapers whose quota would be diverted for starting the proposed new edition as also state the quantum .
State whether the diversion of newsprint is proposed to be done by reducing the number of pages or by reducing the circulation of the parent newspaper(s)

ANNEXURE—V

Statement showing consumption of newsprint for publication of newspapers for export promotion purpose during 1980

S.No.	Title of the paper, its language, periodicity and place of publication	Consumption of newsprint (in tonnes)				
		Glazed	Unglazed	Nepa	Total	Remarks
		Gms.	(imported)			
1	2	3	4	5	6	7

Signature of the Publisher .....
Name in block letters .....
Place .....
Date .....

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of .....
(Name of the paper, language and periodicity)
published from (Address) .....
for the year 1980 and have obtained all the information and explanations required by us. In my/our opinion, the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, pages, size and number of publishing days for the year 1980 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Date.....
Signature .....
Stamp of the Chartered Accountant

1. Name and signature of the person who has signed the certificates. .....
2. Registration No. .....
3. Address .....
.....

ANNEXURE—VI

FORM—I

Applications form for allotment of newsprint for newspapers/periodicals

PART—I

1. Name of the applicant . . . . . .
2. Name of the newspaper/periodicals . . . . . .
3. Full postal address . . . . . .
4. (a) Date from which newspaper/periodical is regularly published . .
   (b) Registration Number as given by Registrar of Newspapers for India .
   (c) Date of filing the latest declaration with District Magistrate . .

5. Nature of concern i.e. public/private/proprietorship etc. and names of Directors/Partners etc. . . . .

6. Quantity/Value of newsprint required for 12 months . . . . .

7. (a) Phased delivery requirement . . . .
   (b) Name of the agent authorised . . . .

8. Name and other particulars of newspapers/periodicals owned by the applicant:

Title of the paper	Language & Periodicity	Place of publication	Whether getting newsprint through Govt.
1	2	3	4

9. Particulars of circulation etc. per publishing day for the new newspapers/periodicals:
   (a) Date of the proposed publication . . . .
   (b) Average No. of copies proposed to be printed . . . . .
   (c) Average No. of pages . . . .
   (d) Average area of one page of newspapers/periodicals (in sq. cms.) .
   (e) No. of publishing days . . . .

10. Particulars of newsprint (specify Glazed/Unglazed/Nepa separately)

Item No.	Qty. in mts.	Source	Value (CIF in Rs.)
1	2	3	4

Consumed during 1980-81 . . . .
Required for the year 1981-82 . . . .

11. Last licensing year in which newsprint was taken from the Office of RNI.

12. (a) Type of Machine (i.e. Rotary/Flatbed/Letter Press) . . . . .
    (b) Size of reels/sheets required . . . .

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition of any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

2. I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the Import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use of any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and Orders issued thereunder.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand Book of Import Export Procedures, 1980-81.

Signature ——————————

Name in Block letters—————————

Designation ——————————

Dated : Residential Address——————————

——————————

PART—II

Income-tax Declaration

(a) In case of persons not having taxable Income.

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Income-tax including advance tax as the Income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

(b) In case of persons having taxable Income.

I/We hereby solemnly declare that:

1. I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.
2. I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-Tax Act other than the tax demand which has been stayed by the Competent Authority.
3. I/We have not been penalised */convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years

I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We am/are having substantial interest **or the firms or associations of persons in which I/We am/are Partners or members respectively.

OR

The above declaration is applicable in case of persons having substantial interest ** in the applicant Company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Place ______________________ Signature ______________________

Date ______________________ Address ______________________

____

Permanent A/C No. ______________________

Designation of the ITO with whom assessed ______________________

Assessable ______________________

* If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note for the purpose of this declaration.

** The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Incometax Act, 1961.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981